

दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ/07/2023

फ्लाई लीफ नंबर 07/2023

सर्वसंबंधितध्यान दें

संयुक्त इंजीनियरी एवं सिगनल कार्यविधि आदेश : 01/2023

विषय:-पाइंटों और क्रॉसिंगों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करना.

1. कमी रहित पाइंट और क्रॉसिंग, चलती गाड़ियों की संरक्षा में योगदान देते हैं और कमियां,यदि कोई हों तो, उन्हें कवर करने के लिए शॉर्टकट पद्धतियां अपनाने की संभावना को दूर करते हैं. इसलिए पाइंट और क्रॉसिंगों की कमियों को समय पर दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. सीईओ एवं सीआरबी और सदस्य (अवसंरचना), रेलवे बोर्ड द्वारा यह दोहराया गया है कि पाइंट और क्रॉसिंगों से संबंधित कमियों को दूर करने में ब्लॉक उपलब्धता अडचन नहीं बननी चाहिए. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को समय पर दूर करने में एसएसई (रेलपथ) और एसएसई(सिगनल) की मदद के लिए,पीएंडसी कमियों को दो कोटियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया है और उनकी मरम्मत के लिए निम्नानुसार टाइम शेड्यूल दिया गया है.

1.1 कोटि ए: किसी असुरक्षित स्थिति या गंभीर कमियों (संयुक्त निरीक्षण पर आरडीएसओ के दिनांक 14.02.2019 के पत्र सं.सीटी/पीटीएक्स/एनटी/एसएसडी के पी.वे मद सं.11 और पाइंट मशीन मद सं.6) को स्टेशन यार्ड छोड़ने से पहले तुरंत दूर किया जाए.

1.2 कोटि बी: अन्य कमियों (ऊपर पैरा 1.1 में उल्लिखित मदों को छोड़कर) को अद्यतन एक सप्ताह के भीतर दूर किया जाए.

2. पाइंट व क्रॉसिंगों के रखरखाव एवं पाइंट व क्रॉसिंगों से जुड़े पाइंट मशीनों और ट्रैक सर्किटों से संबंधित सभी इंजीनियरी और सिगनल व दूरसंचार अधिकारियों द्वारा अवश्य उपर्युक्त मरम्मत टाइम शेड्यूल को सुनिश्चित किया जाए.
3. मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर पर आयोजित प्रत्येक संरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान लंबित कमियों की स्थिति को चर्चा का स्थायी बिंदु बनाया जाए.

हस्ताक्षर -/-

(जी.एस. सूर्यनारायण)

मुख्य सिगनल इंजीनियर

हस्ताक्षर -/-

(डी.आंजनेयुलु

रेड्डी)

मुख्य रेलपथ इंजीनियर

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण

मध्य रेलवे